भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 291

जिसका उत्तर बुधवार, 3 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

सरकार से जुड़े न्यायालयी मामले

+291. श्री विजय कुमार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ऐसे मामलों, जिसमें सरकार भी एक पार्टी है, को न्यायालयों से बाहर निपटाने के लिए कोई वैकल्पिक प्रणाली कार्यान्वित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे मामलों की संख्या का आंकलन किया है जिसमें वह भी एक पार्टी है ;

(घ) यदि हां, तो आज की तारीख के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में ऐसे कितने मामले लंबित हैं ; और

(ङ) कुल लंबित मामलों में उक्त मामलों का प्रतिशत कितना है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : जी हां, विधि कार्य विभाग ने मुकदमेबाजी में कटौती करने और न्यायालय के बाहर मामलों को निपटाने के लिए अनुकल्पी तंत्र उपलब्ध कराने के लिए, जहां दोनों पक्षकार सरकारी विभाग हैं या जहां एक पक्षकार सरकारी विभाग है और दूसरा इसके साधन हैं (सीपीएसई/बोर्ड/प्राधिकरण आदि), तारीख 31.3.2020 को मार्गदर्शक सिद्धांत, अर्थात् विवाद समाधान प्रशासनिक तंत्र (एएमआरडी), जारी किए हैं । एएमआरडी किसी/ सभी विवाद(दों), उन विवादों से भिन्न जो कराधान से संबंधित हैं, केन्द्रीय सरकार के एक दूसरे मंत्रालयों/विभागों के बीच और केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य मंत्रालयों/ विभागों/ संगठन(नों)/ अधीनस्थ/संलग्न

कार्यालयों/स्वायत्त और कानूनी निकायों, आदि, जो उनके प्रशासनिक पर्यवेक्षण/नियंत्रण के अधीन हैं, है ।

(ग) और (घ) : जी हां । विधिक सूचना प्रबंध और ब्रीफिंग प्रणाली (लिम्ब्स)2.0,पर प्रविष्ट किए गए और दर्शित आकड़ों से, (जो कार्यान्वयन के अधीन हैं) भारत सरकार की मुकदमेबाजी का आकलन करने और ऐसी मुकदमेबाजी की निगरानी हेतु उपयोगकर्ता आधारित वेब प्लेटफार्म है जिसमें भारत सरकार या इसके अधीनस्थ कार्यालय शामिल हैं। उपयोगकर्ता विभागों/मंत्रालयों द्वारा प्रविष्ट किए गए मुकदमों की कुल संख्या और अधीनस्थ न्यायालयों, जिसमें जिला और सत्र न्यायालयों, सिविल और मजिस्ट्रेट न्यायालयों, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (डीसीडीआरसी)/राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग (एससीडीआरसी) आदि भी हैं , में 95,185 मामले लंबित दर्शित हैं । इसके अतिरिक्त, 1,70,096 कुल मामले प्रविष्ट किए गए हैं और विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। ये आंकड़े परिवर्तनात्मक हैं क्योंकि सतत् रूप से संबद्ध पणधारियों द्वारा अपलोड किए गए हैं ।

(ड.) : राष्ट्रीय न्यायिक आंकडा ग्रिड पर दर्शित किए गए आंकड़े भी परिवर्तनात्मक हैं, -

(i) विभिन्न जिला न्यायालयों में 3,71,83,362 कुल मामले लंबित हैं;

(ii) विभिन्न उच्च न्यायालयों में 56,57,909 कुल मामले लंबित हैं ।

लिम्ब्स 2.0 पर उपदर्शित मामलों की प्रतिशतता जहां सरकार एक पक्षकार है, कुल लंबित मामलों में से -

(i) जिला न्यायालयों के संबंध में 0.25% (लगभग) है;

(ii) उच्च न्यायालयों के संबंध में 3% (लगभग) है ।

****